

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष-2550488,2550446,2553305,2551282 फ़ैक्स-0755-2555162

E-mail : [chiefelectoralofficermp@gmail.com](mailto:chiefelectoralofficermp@gmail.com), [section4@gmail.com](mailto:section4@gmail.com), [website: ceomadhyapradesh.nic.in](http://website:ceomadhyapradesh.nic.in)

फा.क्र. 25(12)/उप. निर्वा./चार/2020/1817

भोपाल, दिनांक 22/03/2021

प्रति,

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
दमोह मध्यप्रदेश।

विषय:- विधानसभा उप चुनाव 2021-मतदान केन्द्रों के संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पृष्ठांकन क्र. 25(12)/चार/2021/युक्ति./1183 दिनांक 1.3.2021

—0—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पृष्ठांकन पत्र का अवलोकन करें, जिसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र. मि0स0 64/म0प्र0/2021 (उप-चुनाव)/ दिनांक 22.03.2021 की छाया प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा आपके जिले के रिक्त विधानसभा क्षेत्र 55-दमोह के मतदान केन्द्रों के प्रस्तावों पर आयोग से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः आयोग से अनुमोदन उपरान्त सभी राजनैतिक दलों को इस परिवर्तन की लिखित सूचना दे दी जाये एवं अनुमोदित प्रस्ताव को सम्मिलित कर, अंतिम सूची तैयार कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी-पीडीएफ फॉर्म में) में तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार



(प्रमोद कुमार शुक्ला)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22/03/2021

फा.क्र. 84(04)/उप. निर्वा./चार/2020/1818

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, सागर मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथ प्रेषित।
3. प्रबंधक राज्य इलेक्ट्रनिक विकास निगम भोपाल को अवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों का संशोधन कराने का कष्ट करें। ( प्रस्तावों के 14 कॉलम की प्रति संलग्न)
4. श्री राहुल बाघमारे वेब डेवलपर मु.नि.प. कार्यालय की ओर कार्यालयीन वेबसाइट पर मतदान केन्द्रों की सूची अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।



(प्रमोद कुमार शुक्ला)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

मि० सं० 64/म०प्र०/2021(उप-चुनाव)/

दिनांक :- 22 मार्च, 2021

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्य प्रदेश,  
गोपाल ।


विषय:- मध्य प्रदेश राज्य के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव, 2021-मतदान केन्द्रों के संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषयक आपके पत्र को सन्दर्भित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रसं० 25 (12)/चार/2021/युक्ति./1182, तथा दिनांक 01.03.2021 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के मतदान केन्द्रों के संशोधन के प्रस्ताव को आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

2. आपसे अनुरोध है कि मामले में विधिक प्रावधानों के तहत उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें तथा अनुमोदित मतदान स्थलों की सूची को प्रकाशित करने से पूर्व एक बार पुनः जांच लें । साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें की किसी भी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या आयोग द्वारा जारी निर्देशों से अधिक ना हो एवं सभी मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।
3. आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी राजनैतिक दलों को इस परिवर्तन की लिखित सूचना दे दी जाए और सम्बन्धित क्षेत्रों में इसका समुचित प्रचार किया जाए । साथ ही इस सम्बन्ध में कंट्रोल टेबल में भी प्रविष्टियां कर इसे अद्यतन कर दिया जाए, यदि यह अभी तक नहीं किया गया है ।

भवदीय,

  
(अमित कुमार)  
अवर सचिव